



2026:AHC:21188

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2200, वर्ष 2025

अलगू
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं)केअधिवक्ता	: धीरेन्द्र कुमार, कर्म सिंह यादव, परिता
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता	: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.पी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कर्म सिंह यादव, विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ज्योति सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार और प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. तत्काल याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को अपील संख्या 853 सन् 2024 (रामनाथ पाल बनाम राज्य), अपील संख्या - 854 सन् 2024 (बृजलाल बनाम राज्य अपील संख्या 862 सन् 2024 (लल्लु बनाम राज्य, अपील संख्या 864 सन् 2024 अब्बास बनाम राज्य) समक्ष कलेक्टर जौनपुर को ग्राम किसुनदासपुर, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला-जौनपुर में प्लॉट संख्या 445 क्षेत्रफल 0.105 हेक्टेयर जो बंजर के रूप में दर्ज है तथा प्लॉट संख्या 446 क्षेत्रफल 0.183 हेक्टेयर जो हक के अभिलेख में रास्ता के रूप में दर्ज है, पर अतिक्रमण के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णीत करने का आदेश दिया जाए।

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को इस माननीय न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 6 से 11 और अन्य के खिलाफ दिनांक 31.10.2023 के बेदखली आदेश के संबंध में अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता को मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
4. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, दिनांक 17.9.2025 का एक व्यक्तिगत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत दायर की गई सभी अपीलें, कलेक्टर, जौनपुर द्वारा दिनांक 12.9.2025 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दी गई हैं। उन्होंने यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत किया, जो व्यक्तिगत शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक संख्या PA-1, PA-2, PA-3 और PA-4 के रूप में संलग्न हैं।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और हर्जाने के आदेश को, जिसे कलेक्टर द्वारा अपील में भी बरकरार रखा गया है, देखते हुए, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश के तत्काल कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए निर्देश जारी किया जाए।
6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
7. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन भूखंड के संबंध में, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसे अपील में भी बरकरार रखा गया है।
8. यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के तहत, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन के लिए प्रावधान निर्धारित किया गया है; अतः, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन हेतु प्रस्तुत जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
9. यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के तहत निर्धारित विधि के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026
रमीज़